"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014— फाल्गुन 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (30). — चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसे व्यापारी जो पूर्णत: छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 दोनों के अधीन करमुक्त माल का व्यवसाय करते हैं, को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के प्रावधान के क्रियान्वयन से छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच(30). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (30), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/40/2014/CT/V(30). — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the dealers dealing exclusively in tax-free goods under both the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 from the provision of sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.

2. This notification shall take effect from 01-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (31). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचीबद्ध "स्व-सहायता समूहों" द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों द्वारा राज्य में निर्मित एंव विक्रित नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक की कालावधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)
1.	रेडी-टू इट
2.	कुक्ड फुड
3.	स्कूल गणवेश
4.	मसाला, अचार, पापड़, बड़ी
5.	अगरबत्ती
6.	वर्मीकम्पोस्ट
7.	चमड़े के पदत्राण
8.	स्कूल बैग एवं कैरी बैग
9.	सेनेटरी नेपकीन
10.	मोमबत्ती
11.	खिलौना, कार्ड्स
12.	शहद
13.	रेशमी धागा
14.	बेंत फर्नीचर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच(31). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (31), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/40/2014/CT/V(31). — In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the goods as specified in column (2) of schedule below, which are manufactured and sold in the State by the Cottage Industries by "Self-help group" listed in the Women and Child Welfare Department of the State of Chhattisgarh, from payment of tax under Section 8 of the said Act, for the period from 01-04-2014 to 31-03-2015 :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)
1.	Ready to eat
2.	Cooked food
3.	School Uniform
4.	Condiments, Achar, Papad, Badi
5.	Agarbatti
6.	Wormy compost
7.	Leather footwear
8.	School bag and carry bag
9.	Sanitary napkin
10.	Candle
11.	Toys, cards
12.	Honey
13.	Silk yarn
14.	Cane furniture

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (32). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक कॉलम (4) में दिए गए निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक की कालावधि के लिये धारा 8 के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई (4)
1.	सोयाबीन	संपूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयत व्यवसायी को विक्रय किया जाये.
2.	ट्रैक्टर की ट्रॉली	संपूर्ण कर	
3.	वेल्डिंग मशीनरी एवं इसके उपकरण जिसमें रेल्वे ट्रैक के निर्माण में उपयोग होने वाली वेल्डिंग मशीनरी एवं उपकरण शामिल है.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए.	
4.	मापतौल उपकरण	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए.	
5.	अगरबत्ती एवं धूप	संपूर्ण कर	1-जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा किया जाए.
6.	सायकल तथा सायकल पार्ट्स	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	2-निर्माता/पुनर्विक्रेता, यह विवरण का उल्लेख करते हुए, बिल/बीजक/कैशमेमो जारी करेगा कि "विक्रित माल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित है."
7.	पाऊच एवं 20 लीटर जरीकेन में बेचे जाने वाला मिनरल वाटर.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए.	
8.	यू. पी. व्ही. सी. से निर्मित दरवाजे एवं खिड़कियां.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 5 प्रतिशत हो जाए.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच(32).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (32), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/40/2014/CT/V(32). — In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) the State Government hereby exempts, the class of goods as specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under Section 8, to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4), from 01-04-2014 to 31-03-2015 :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	extent of Exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Soyabean	Whole of Tax	When sold to a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005.
2.	Trolley of Tractor	Whole of Tax	
3.	Welding machinery and equipment thereof including welding machinery and equipments used in construction of railway track.	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%	
4.	Weighing equipment	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%	
5.	Agarbatti and Dhoop	Whole of Tax	1. When such goods are manufactured by industrial unit situated in Chhattisgarh State. 2. Manufacturer/reseller shall issue a bill/invoice/ cash memo containing the statement that "the goods sold are manufactured by industrial unit situated in Chhattisgarh State."
6.	Cycle and cycle parts	Partly so as to reduce the rate of tax to 2%	
7.	Mineral water sold in pouch and twenty litre jerricane	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%	
8.	Doors and windows made of UPVC	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (33). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-दो की प्रविष्टि क्रमांक 60 में की गई अपेक्षाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-56/2006/वाक/पांच (46) दिनांक 28-04-2006 में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल को "औद्योगिक आगत" की सूची में जोड़ा जाता है, यथा ,-

संशोधन

अ. क्र. (1)	वस्तु का नाम (2)
90.	इंडस्ट्रीयल फ्यूल ऑयल (पेट्रोलियम उत्पाद को छोड़कर)
91.	इंडस्ट्रीयल एल. पी. जी.
92.	रबर रिक्लेम

2. यह संशोधन दिनांक 01-04-2014 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच(33). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (33), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/40/2014/CT/V(33). — In notification No. F-10-56/2006/CT/V(46) dated 28-04-2006 issued by the State Government in pursuance of the requirement under entry 60 of part-II of Schedule-II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the goods specified in the Schedule below are added as "Industrial Input", namely,-

AMENDMENT

S. No. (1)	Name of goods (2)
90.	Industrial Fuel oil (excluding petroleum products)
91.	Industrial L. P. G.
92.	Rubber reclaim

2. This amendment shall come into force from 01-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (34). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ -10/10/2013/वाक/पांच (12) दिनांक 28-03-2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम (2) में वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत अ. क्र. 31 के पश्चात् निम्न वस्तु जोड़ी जाय :-

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)
32.	कांक्रीट ब्लाक मेकिंग मशीन
33.	पेंटिंग इक्विपमेंट
34.	सभी प्रकार के बार कटिंग, बेंडिंग, बाईडिंग तथा स्ट्रेटनिंग मशीन
35.	सभी प्रकार के वायब्रेट्री रोलर
36.	कांक्रीट कटर
37.	पॉवर ट्रॉवेल
38.	पॉवर फ्लोटर
39.	वैक्युम डिवाटरिंग पम्प
40.	वाईब्रेटर नीडल्स
41.	टेम्पिंग रैमर
42.	डायमंड कोर कटर
43.	हैंगिंग/सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म
44.	वॉल सॉ/वायर सॉ
45.	कांक्रीट मिक्स्चर मशीन
46.	टॉवर हॉयेस्ट
47	सिविल कन्स्ट्रक्शन में उपयोग होने वाली मिनी लिफ्ट तथा पीएम लिफ्ट
48.	स्लेब ट्रॉली
49.	वर्क्स प्लेटफॉर्म
50.	क्यूब टेस्टिंग मशीन
51.	क्यूब मोल्ड मेजरिंग उपकरण
52.	कांक्रीट के परिवहन के लिए टफ राइडर

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच(34). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (34), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/40/2014/CT/V(34). — In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby amends the Notification No. F-10/10/2013/CT/V (12) dated 28-03-2013 and adds the following goods after S. No. 31:-

AMENDMENT

In the said notification, after S. No. 31 of column (2) under class of goods of schedule, the following goods shall be added :-

S. No. (1)	Class of goods (2)
32.	Concrete block making machine
33.	Painting equipment
34.	All type of bar cutting, bending, binding & straightening machine
35.	All type of vibratory roller
36.	Concrete cutter
37.	Power trowel
38.	Power floater
39.	Vacuum dewatering pump
40.	Vibrator needles
41.	Tamping rammer
42.	Dimond core cutter
43.	Hanging/suspended platform
44.	Wall saw/wire saw
45.	Concrete mixer machine
46.	Tower hoist
47.	Mini lift & PM lift used in civil construction
48.	Slab trolley
49.	Works platform
50.	Cube testing machine
51.	Cube mould measuring instruments
52.	Tough rider for transportation of Concrete

2. This notification shall take effect from 01-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (35). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10/12/2007/वाक/पांच (30) दिनांक 21-05-2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाय :-

"अनुसूची-2 के भाग-2 की प्रविष्टि 42 में विनिर्दिष्ट औषध तथा औषधि एवं प्रविष्टि 74 में विनिर्दिष्ट मेडिकल इक्वीपमेंट्स/डिवाईसेस तथा इम्पलांट"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2014 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (35). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (35), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/40/2014/CT/V(35). — In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10/12/2007/CT/V (30) dated 21-05-2007 :-

AMENDMENT

In the said notifications, for the existing entry specified in column (2) of the schedule, the following entry shall be substituted :-

"Drugs and Medicines as specified in entry 42 and Medical equipments/devices and implants as specified in entry 74 in part-II of Schedule-II."

2. This notification shall take effect from 01-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (36). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में दी गई सीमा तक, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बंधन तथा शर्तें, जिसके अध्यधीन छूट प्रदान की गई (4)
1.	पिग आयरन, स्टील स्क्रेप, आयरन ओर पैलेट तथा फेरो एलायज	अंशतः इस प्रकार, जिससे धारा 8 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाय.	1. (क) जब कॉलम 2 में निर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा संलग्न घोषणा पत्र "प्रारूप-क" के समर्थन में, अन्य ऐसे व्यापारी को राज्य में उसके स्वयं की इकाई में आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चे माल के उपयोग के लिये विक्रय किया गया हो, (ख) निर्मित माल का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जाय, और (ग) कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट माल उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र में कच्चे माल के रूप में दर्ज हो तथा ऐसे क्रय दिनांक को प्रमाण-पत्र प्रभावशील था. अथवा 2. जब कॉलम 2 में निर्दिष्ट माल का विक्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा अन्य ऐसे व्यापारी को संलग्न घोषणा-पत्र "प्रारूप-क" के समर्थन में किया जाए जिसके द्वारा इस माल का पुनर्विक्रय संलग्न घोषणा-पत्र "प्रारूप-क" के समर्थन में आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु अन्य व्यापारी को किया जाएगा.

प्रारूप-क

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक.......................... के अधीन)

मैं .... (व्यापारी का नाम)............................ (पता), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) .... का धारक व्यापारी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यापारी से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :-

(एक) क्रय किया गया माल स्वयं की निर्माण इकाई में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 में वर्णित आयरन तथा स्टील के निर्माण में, कच्चा माल के रूप में उपयोग के लिये हैं.

(दो) निर्मित माल का विक्रय छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जायेगा.

(तीन) क्रय किया गया माल मेरे पंजीयन प्रमाण-पत्र में कच्चा माल के रूप में दर्ज है और उक्त माल के क्रय के दिनांक को पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रभावशील था.

अथवा

✲ क्रय किए गए माल का विक्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी को उसके आयरन एवं स्टील की निर्माण इकाई में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित घोषणापत्र के विरुद्ध किया जायेगा.

क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/इन्वाईस/कैश मेमो/ चालन का विवरण		क्रय किये गये माल का विवरण	मात्रा	मूल्य
क्रमांक (1)	दिनांक (2)	(3)	(4)	(5)
			योग -	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र.

स्थान ....

दिनांक ....

व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील

✲ जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (36). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/40/2014/वाक/पांच (36), दिनांक 4-3-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F-10/40/2014/CT/V(36). — In exercise of the powers conferred by the provisions of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts, the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) for the period from 01-04-2014 to 31-03-2015 :-

SCHEDULE

S. No.	Description of goods	Extent of Exemption	Restrictions and conditions Subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3).	(4)
1.	Pig Iron, steel scrap, Iron ore pellet and Ferro alloys.	Partly so as to reduce the rate of tax under section 8 to 2 percent.	1 (a) When the goods specified in column (2) are sold by a dealer registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, to another such dealer, for use as raw material in manufacture of Iron and steel in his own unit in the State, against a declaration in the appended "Form-A", (b) the manufactured goods are sold within the State or in course of inter-state trade or commerce or in the course of export of out of the territory of India, and (c) the goods specified in column (2) are mentioned as raw material in his registration certificate and the certificate was in force on the date of such purchase. OR 2 When the goods specified in column 2 are sold by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) to another such dealer against a declaration in the appended "Form-A", who shall resale such goods against a declaration in the appended "From-A", to another dealer for use by him as raw material in manufacture of iron and steel.

DECLARATION

"Form-A"

(Under C. T. D. Notification No. --------------------- Dated -----------------------------)

I ------------------------ (Name of the dealer) ---------------------- (address), a dealer holding registration certificate No. ---------------------- under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, hereby declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below from ---------------------- (Name and address of the dealer) a dealer holding registration certificate No. ---------------------- under the said Act.

I further declare that :-

(i) the goods being purchased are for use as raw material in the manufacture of iron and steel in my industrial unit in the State,

(ii) the goods being manufactured by me shall be sold in the Chhattisgarh State or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

(iii) the purchased goods are specified as raw material in my registration certificate and the registration certificate was in force on the date purchase of the goods.

OR

* the goods being purchased shall be sold against a declaration specified in this Notification to a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use as raw material in his Iron and steel manufacturing unit.

PARTICULARS OF GOODS PURCHASED

Particulars of purchase bill/invoice/cash memoranda/challan- No.	Date	Description of goods	Quantity	Value Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. ------------------------------- (in words) Rs. ---

Place ------------------------

Date ------------------------

Signature & Seal of the dealer

*strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.